न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 22/2016 आवंटन निरस्ती

उनवान

1.श्री बालू पिता बरदा गुर्जर निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1.श्री रायमल पिता भूरा गुर्जर मृतक के बजाय–
1/1–श्री भोजा पिता रायमल गुर्जर निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा
1/2–श्रीमती बरजी पत्नि स्व0 रायमल गुर्जर निवासी राक्षी त0बनेड़ा
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थी

——विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 14(4) रा0भू0रा0 आवंटन नियम 1970 विरूद्ध बमामला आवंटन निरस्तीकरण कराये जाने

उपस्थित :– श्री सुरेश सेन अधि0 प्रार्थी की ओर से !
श्री एम0एल0असावा अधि0 विपक्षी सं0 1/1

निर्णय

दिनांक : 13/11/2017

निगराकार की ओर से आवंटन निरस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) रा0भू0रा0अधिनियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार विपक्षी संख्या 01 मृतक रायमल गुर्जर को ग्राम राक्षी तहसील बनेड़ा की आराजी नम्बर 1829 रकबा 5.19 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना कब्जे काश्त की जांच व तहकीकात किये बिना ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.01.2005 को आवंटन किया गया। आवंटन होने के बाद विपक्षी संख्या 01 द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की। उक्त भूमि का कब्जा भी विपक्षी ने प्राप्त नहीं किया व उक्त भूमि को काश्त भी नहीं किया अर्थात आवंटन होने के बाद एक भी फसल विपक्षी ने काश्त नहीं की जबकि उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के पास ही सटी हुई होकर प्रार्थी का कब्जा होकर के वर्षों से उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। उक्त गलत आवंटन का रेकार्ड प्राप्त करने पर उक्त तथ्यों की जानकारी हुई। जिसके आधार पर यह आवेदन प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी मृतक रायमल गुर्जर को ग्राम राक्षी की आराजी नम्बर 1829 रकबा 5.19 बीघा का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन तथ्यों एवं विधि केविपरीत होने से अपास्त होने लायक है। तथाकथित आवंटन दिनांक 01.01.2005 जिस आराजी नम्बर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

1829 रकबा 5.14 बिस्वा का किया गया है जिसके बटा नम्बर 1829/1 कायम किये जाकर के रकबा 5.19 बीघा कायम किये गये जब आराजी नम्बर 1829 रकबा 5.14 बीघा भूमि ही मौके एवं रेकार्ड में विद्यमान थी तो 5.14 बीघा के बजाय 5.19 बीघा का आवंटन कैसे किया जा सकता है। यह विधि एवं तथ्यों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना है जिससे उक्त आवंटन विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने लायक है। उक्त आवंटन प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प के दौरान किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया था उक्त आवंटन आदेश में आवंटी का नाम उसके पिता का नाम व किसी आराजी व कितने रकबे का आवंटन किया गया है व काहं पर आवंटन किया गया, कौनसे ग्राम में भूमि आवंटन की गई, कितने वर्षों से आवंटी का कब्जा मौके पर चला आ रहा है जिसके बाबत खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत है या नहीं है इस बाबत उक्त आवंटन आदेश में कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया हैव न ही उक्त आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा के हस्ताक्षर ही है केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा की मुद्रा लगी हुई है और सम्पूर्ण आदेश में जगह–जगह पर खाली स्थान छोडा गया है जिससे स्पष्ट है कि आवंटी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके उक्त आवंटन आदेश टंकित कराया गया है जिसमें बिना सक्षम अधिकारी के स्ताक्षर व अनुशंषा के ही उक्त आदेश की पालना हो गई जबकि उक्त आदेश ही अपूर्ण व विधि–विरूद्ध है जिसकी कतई पालना नहीं की जा सकती है। उक्त आदेश अपूर्ण होकर विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने लायक है। उक्त आवंटन पत्रावली के रिपोर्ट पटवारी के कॉलम में पटवारी द्वारा अंकित किया गया है कि आवंटी मृतक रायमल के नाम पर पूर्व में भी सिंचित व असिंचित भूमि थी फिर भी आवंटन को भूमिहीन काश्तकार मानते हुए उक्त आवंटन किया गया है जोकि निरस्ती होने लायक है। उक्त भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो वह पेश कर सकता है लेकिन पटवार हल्का व गिरदावर व तहसीलदार साहब द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में न तो किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक उद्घोषणा की गई व न ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट व पटवारी हल्का के सूचना पट्ट पर उक्त भूमि के आवंटन के बाबत कोई आपत्ति आमन्त्रित की गई जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट केवल मात्र खानापूर्ति करने बाबत अंकन किया है कि कोई आपत्ति नहीं है। इन महत्वपूर्ण व विधिपूर्ण तथ्यों की अवहेलना करने से भी आवंटन खारिज होने लायक है। उक्त आवंटन पत्रावली में आवंटन आदेश दिया गया है वह भी विधि विरूद्ध है उक्त आवंटन आदेश में आवंटन कमेटी के किस व किन सदस्यों के हस्ताक्षर किये गये है वह भी अपूर्ण है व उक्त आवंटन में कहीं पर भी आवंटन कमेटी के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है व न ही तहसीलदार साहब बनेड़ा के हस्ताक्षर है केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है जिसकी सील(मुद्रा) व हस्ताक्षर अंकन है चूंकि उक्त आवंटन आदेश में कमेटी के हस्ताक्षर ही सन्देहापूर्ण है जिससे यह आवंटन आदेश निरस्त होने योग्य है क्योंकि उक्त आवंटन आदेश केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर से नहीं हो सकता है सरपंच एक जन–प्रतिनिधि है जो कि अपने वोटरों को खुश करने व प्रसन्न करने के लिए कुछ भी आदेश पारित कर सकता है। उक्त आवंटन आदेश में आ0नं0 1829 रकबा 5.14 बीघा भूमि का आवंटन होना दर्शित किया गया है तबकि सिपुर्दगी नामें मेंउक्त भूमि 5.19 बीघा अंकन किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का कितना रकबा व कितनी भूमि आवंटित की गई व कितना कब्जा सौंपा गया है यह भी स्पष्ट नहीं है।

न्यायालय जिला कलेक्टर (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त सभी तथ्यों से यह आवंटन सन्देहपूर्ण व अस्पष्ट होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि विपक्षी के पास इस भूमि के अलावा भी और भूमि है जो कि 15 बीघा से भी अधिक है इसके अतिरिक्त विपक्षी का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य करना नही होकर अन्य व्यावसायिक कार्य करना है उसके बावजूद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना जांच व तहकीकात किये ही उक्त भूमि का गलत व अवैध आवंटन कर दिया जो कि नरस्त होने लायक है। आवंटी के द्वारा आवंटन के पश्चात एक भी वर्ष में उक्त भूमि को काश्त नहीं की है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि बाबत गैर–खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये है जो कि गलत है चूंकि जब आवंटन नियमों की पालना नहीं होने पर आवंटन निरस्त करने के बजाय खातेदारी अधिकार जो प्रदत्त किये वो गलत होकर अवैध है। उक्त भूमि रायमल पिता भूरा गुर्जर को आवंटित हुई जिसकी आज से 04–05 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है फिर भी खातेदारी प्रदान कर दी जबकि खातेदारी अधिकार 10 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही प्रदान किये गये हैं जो कि आवंटन नियमों की सख्त अवहेलना है व अनियमितता है अतः आवंटन निरस्त होने लायक है। उक्त भूमि पर अभी हाल ही में दिनांक 05.07.2016 को विपक्षी के पुत्र भोजा द्वारा प्रार्थी के कब्जे में दखलन्दाजी की व कहा कि यह भूमि तो हमारे नाम आवंटन हो चुकी है इसलिए इसका कब्जा खाली करो इस पर मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का समस्त राजस्व रिकॉर्ड की नकलें निकलवायी तो दिनांक 21. 07.2016 को उक्त तथ्यों की जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे मियाद में शुमार फरमाया जाना आवश्यक है जिसके लिए दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 का स्वीकार फरमा मृतक विपक्षी संख्या 01 को ग्राम राक्षी की आराजी नम्बर 1829 में से 5.19 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.09.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा आवंटन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी भोजा की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी क पिता स्व0 रायमलजी को दिनांक 06.01.2002 को भूमिहीन किसान होने से आराजी नं0 1829 रकबा 5.19 बीघा वाके राक्षी तहसील बनेड़ा में स्थित भूमि प्रशासन गावों के संग अभियान में विधिवत आवंटन किया गया व कब्जा सिपुर्द किया गया। रायमलजी के स्वर्गवास के बाद विपक्षी भोजा व उसकी माता बरजी क नाम पर विवादित भूमि नामान्तरकरण हुई जो जमाबन्दी में दर्ज है। इस मामले में धारा–5 कानून मियाद लागू नहीं होता है। विपक्षी द्वारा आवंटन शुदा भूमि का पत्थरगढी करने के लिए एसडीओ साहब बनेड़ा के यहां विपक्षी भोजा के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसक प्रकरण संख्या 24/2012 है। इस प्रकारण में प्रार्थी पड़ौसी होने से विपक्षी बनाया गया और प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी के आदेश देने में कोई एतराज नहीं किया और दिनांक 10.01.2014 को प्रार्थी व विपक्षी व अन्य मौतबीरान की मौजूदगी में पत्थरगढी की गई थी जिसका पर्चामौका बनाया गया जिस पर बालू , हजारी व विपक्षी भोजा एवं गांव के मोतबीरान ने हस्ताक्षर किए और प्रार्थी द्वारा यह एतराज भी नहीं किया कि आवंटन गलत है । विपक्षी के पिता रायमलजी को खातेदार काश्तकार नहीं मानना चाहिए और इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बोनाफाईड नहीं है और प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पेश करने में गौर नेकलीजेंट रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। विपक्षी बरजी ने जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के पड़ौसी है और प्रार्थीगण को आवंटित भूमि के डोल व बाड़ को नुकसान करते रहेते थे, सीमा को बिगाड़ते थे इस कारण विपक्षी ने एसडीओ साहब बनेड़ा के यहां पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2012 को पेश किया जिस पर प्रार्थीगण को नोटिस मिलने के बाद विपक्षी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई प्रार्थीगण द्वारा उजर–एतराज नहीं किया गया इस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2012 को पत्थरगढी का आदेश दिया गया और पत्थरगढी के आदेश की पालना में तहसीलदार बनेड़ा के यहां भेजा गया, उस आदेश के तहत आराजी सं0 1829 रकबा 5 बीघा 19बिस्वा वाके राक्षी का तहसील बनेड़ा का प्रार्थी एवं विपक्षीगण व अन्य मौतबीरान के सामने पत्थरगढी की गयी, जिसमें प्रार्थी की तरफ 6 बिस्वा भूमि ज्यादा पाई गयी जिसे प्रार्थीगण ने स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये थे। जिसे प्रार्थी ने छोडदी जिस पर विपक्षी ने डोल लगा दिया था जो अभी भी मौजूद है इस कारण नाजायज परेशान करने की वजह से प्रार्थीगण ने यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है।विपक्षी के पास इस भूमि के अलावा जो शामलाती भूमि में से 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि उसके हिस्से में आती है इसके अलावा उसके पास कोई भी भूमि नहीं है और विपक्षी बोनाफाईड काश्तकार है । प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र बेरून मियाद है क्योंकि यह प्रार्थनापत्र आवंटन सन् 2002 से करीब साढे चौदह वर्ष बाद पेश किया गया है जो काबिल निरस्तगी के है जो किसी भी प्रकार पोषणीय नहीं है। प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य में मुकदमें चल रहे हैं जिसकी वजह से यह झूंठा मुकदमा दर्ज कराया है। अतः उपरोक्त कारणों से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम,1970 को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त आवंटन निरस्ती निगरानी के साथ में प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम राक्षी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066से 2069 खाता संख्या 448, आ0नं0 1829/1 का नक्शा ट्रेस, ग्राम राक्षी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 रायमल पिता भूरा गुर्जर के नाम की तथा भोजराज पिता रायमल व बरजी पत्नि रायमल गुर्जर के नाम की, ग्राम पंचायत राक्षी की मतदाता सूची वर्ष 2004 की, उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के प्रार्थनापत्र संख्या 24/2012 निर्णय दिनांक 09.05.2012, पत्थरगढी के प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट पत्रांक 98 दिनांक 13.01.2004 के साथ संलग्न पर्चामौका, सूचनापत्र एवं तहसीलदार बनेड़ा को आ0नं0 1829/1 की पत्थरगढी किए जाने हेतु लिखा पत्र दिनांक 06.03.2012 की फोटो प्रतियां, ग्राम राक्षी की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2062 से 65, सम्वत् 2054 से 57, सम्वत् 2058 से 61, सम्वत् 2046 से 49, सम्वत् 2050 से 53, सम्वत् 2074 से 77 की संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा की आवंटन पत्रावली संख्या 3/2002 दायर दिनांक 06.01.2002 प्राप्त होने के पश्चात दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि आवंटन पत्रावली के कॉलम संख्या 3 में ग्राम राक्षी की आराजी नम्बर 1829 मे 5–14 बीघा भूमि चाही गई थी जबकि आवंटन 5.19 बीघा का किया गया। आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। वादोक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त बदस्तूर है । इस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है। आवंटन विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2014(1) पेज 597, 2015(1)डीएनजे(राज0) पेज 107 रामभरोसीलाल बनाम मा0राजस्व मण्डल अजमेर, 2014(1) आरआरटी 117 पुष्करसिंह बनाम भोपालसिंह , 2016 आरबीजे पेज 679 गोपाल

न्यायालय जिला कलेक्टर (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मीना बनाम रेवद मीना , 2017(1)डीएनजे(राज0) 145 रणजीतसिंह बनाम राजस्थान सरकार के दृष्टान्त पेश किये। बहस में वकील अप्रार्थी ने बताया कि विपक्षी के पिता स्व0 रायमल को प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवंटन होकर वर्तमान में खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। आराजी नम्बर 1829 का रकबा 5–19 बीघा था जिसमें से 5–14 बीघा भूमि का आवेदन किया परन्तु शेष रकबा 0.05 जो कि पट्टी के रूप में शेष रह जाने से उक्त रकबा भी रायमल को सिपुर्द किया गया। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है आवंटन वर्ष 2002 में हुआ तथा उक्त आवंटित भूमि का कब्जा स्व0 रायमल को वर्ष 2005 में दिया गया तब से आदिनांक तक हम विपक्षीगण काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं। इस आराजी की सीमा एवं डोल बाड़ को क्षति पहुंचाने पर प्रार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के न्यायालय में पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बनाये गये पर्चामौका पर स्वयं प्रार्थी के भी हस्ताक्षर है। वक्त आवंटन स्वयं प्रार्थी भी कैम्प में मौजूद था परन्तु उसके द्वारा तत्समय किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई और अब 14 वर्ष पश्चात यह आवेदन किया जो खारिज योग्य है। विपक्षी के पिता रायमल के पास मात्र 3–11 बीघा भूमि ही थी जिसके कारण भूमिहीन होने से आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा विधिसम्मत मजमेआम में आवंटन किया गया है। वर्तमान में हम अप्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी से दर्ज होकर हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है। वकील अप्रार्थी के द्वारा आरआरडी–2010 नारायण बनाम लखा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2009 पृष्ठ 78 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त आवंटन पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम राक्षी की आराजी नम्बर 1829 रकबा 5.19 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा बिना कब्जे की जांच व तहकीकात किये बिना आवंटन किया जबकि उक्त भूमि पर वक्त आवंटन प्रार्थी का कब्जा था। प्रार्थी द्वारा आवंटन से पूर्व उक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है पत्रावली में संलग्न जिन्स गिरदावरियां ग्राम राक्षी सम्वत् 2062 से 65 में आ0नं0 1829/1 रकबा 5.19 बीघा पर रायमल पिता भूरा गुर्जर का कब्जा काश्त दर्ज है इसके अलावा सम्वत् 2054 से 57, सम्वत् 2058 से 61, सम्वत् 2046 से 49, सम्वत् 2050 से 53, सम्वत् 2074 से 77 किसी का कब्जा काश्त दर्ज नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी वादोक्त भूमि पर अपना कब्जा होने के तथ्य को सिद्ध कराने में असफल रहा है। जहां तक आवंटन का प्रश्न है वह पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा की आवंटन पत्रावली संख्या 3/2002 के साथ संलग्न आवंटन प्रार्थना पत्र में पटवारी रिपोर्ट अनुसार वादोक्त भूमि पर प्रार्थी का सन् 1994 से पूर्व का कब्जा है। इसी प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 2 में पटवारी द्वारा आवंटन के समय अप्रार्थी स्व0 रायमल के कब्जे/खाते में 2 बीघा 3 बिस्वा सिंचित एवं 1 बीघा 8 बिस्वा असिंचित भूमि कुल 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि होना अंकित है। इस प्रकार विपक्षी के पिता स्व0 रायमल भूमिहीन की तारीफ में होने से आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 06.01.2002 को मजमेआम में 5.14 बीघा भूमि का सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर आवंटी को भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन आदेश पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, सरपंच ग्राम पंचायत राक्षी एवं कमेटी के अन्य दो सदस्यों के हस्ताक्षर है । इस प्रकार आवंटन विधिवत हुआ है। उक्त आवंटन पत्रावली के साथ में रिकॉर्ड में गैर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

खातेदारी से दर्ज किए जाने हेतु साईक्लोस्टाईल प्रोफार्मा संलग्न है जिस पर उपखण्ड अधिकारी की मुहर अंकित है परन्तु यह प्रोफार्मा खाली है इसमें किसी आवंटी व ग्राम तथा आराजी नम्बर का अंकन नहीं है जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा कोई आवंटन नहीं किया है यह तथ्य गलत है क्योंकि इसी पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के पत्रांक/आवंटन/2004/756 दिनांक 1.01.2005 जारी है। जिसमें क्रम संख्या 3 पर रायमल पिता भूरा गुर्जर निवासी राक्षी को ग्राम राक्षी में आ0नं0 1829 रकबा 5.19 बीघा भूमि पर आवंटी का कब्जा होने से गैर खातेदारी में दर्ज किए जाने हेतु तहसीलदार बनेड़ा के नाम जारी किया हुआ है । आवेदन पत्र में स्वयं आवंटी के द्वारा भी 5.14 बीघा का ही आवंटन चाहा एवं आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा भी 5.14 बीघा भूमि का आवंटन किया परन्तु उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा के द्वारा अपने पत्रांक पत्रांक/आवंटन/2004/756 दिनांक 1.01.2005 से 5.19 बीघा का कब्जा दिए जाने एवं गैर खातेदारी से दर्ज किए जाने का जारी किया और इसी आदेश की पालना में तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा आवंटी श्री रायमल पिता भूरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 से होती है परन्तु 0.05 बिस्वा अधिक भूमि विपक्षी के स्व0 पिता रायमल को किस आदेश से आवंटित हुई कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त पत्र के आधार पर आ0नं0 1829/1 का 5.19 बीघा भूमि गैर खातेदारी से दर्ज हो जाने से उक्त रकबे पर खातेदारी दर्ज की गई। ग्राम राक्षी की आराजी नम्बर 1829/1 रकबा 5.19 बीघा भूमि स्व0 श्री रायमल पिता भूरा गुर्जर सा0देह खातेदार दर्ज होने की पुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 से होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्राम राक्षी में विपक्षी के पिता स्व0 रायमल को विधिवत आवंटन हुआ है । उक्त आवंटन विधि विरूद्ध हुआ हो या आवंटन शर्तों की पालना आवंटी के द्वारा नहीं किए जाने पर आवंटन निरस्ती के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा कभी कोई आपत्ति या प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। वादोक्त आराजी 1829/1 रकबा 5.19 बीघा भूमि की पत्थरगढी हेतु उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में दिनांक 09.05.2012 को पत्थरगढी के आदेश दिए गए थे जिसकी पालना में पटवारी हल्का उपरेड़ा के द्वारा दिनांक 10.01.2014 को पर्चामौका बनाया जिस पर प्रार्थी बालू , हजारी एवं विपक्षी भोजा व अन्य मौतबीरान के हस्ताक्षर है । पर्चामौका अनुसार आ0नं0 1829/1 की 0.6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी बालू, हजारी पिता बरदा गुर्जर के कब्जे में होने का अंकन है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत करने की हिदायत का अंकन है। इसके बावजूद भी प्रार्थी के द्वारा पत्थरगढी आदेश के भी 4 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्ती हेतु तथा आवंटन दिनांक 06.01.2002 के 14 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्ती का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी के द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं जो सभी विधि विरूद्ध आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं होने एवं आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना नहीं किए जाने की स्थिति में आवंटन निरस्ती किए जाने के सम्बन्ध में है जबकि यहां पर विपक्षी स्व0 रायमल को आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण कोरम द्वारा , मजमेआम में प्रशासन गांवों के संग अभियान में विधिवत आवेदन प्राप्त कर आवंटी के नाम पर पूर्व में कब्जे/खातेदारी में भूमियों की स्थिति का विवरण आवेदन पर प्राप्त किया जाकर आवंटन किया गया है। विपक्षी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सद्भावी काश्तकार है जो पत्रावली में प्रस्तुत गिरदावरियों एवं स्वयं के नाम पर कृषि भूमि दर्ज होने से भी सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं वे यहां पर लागू नहीं होते हैं। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त आरआरडी–2010 पेज 78 नारायण बनाम लखा व अन्य यहां पर पूर्णतया लागू होता है। अतएवः–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम राक्षी तहसील बनेड़ा की आराजी नम्बर 1829/1 रकबा 5.19 बीघा भूमि पर वक्त आवंटन प्रार्थी का कब्जा काश्त होने, आवंटी द्वारा विधिविरूद्ध या छलकपट से आवंटन कराने या आवंटन शर्तों की पालना नहीं किए जाने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर अपने प्रार्थनापत्र को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भूराजस्व आवंटन अधिनियम, 1970 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर न्यायालय मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया जाता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर
भीलवाडा